न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 78/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.गोपाराम पुत्र भूराराम 02.रामनिवास पुत्र स्व0 सुखदेवराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर		01.श्रीमती झमकु पत्नी कानाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता सोहनलाल विश्नोई उपस्थित ।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता भागीस्थ विश्नोई ईश्वरसिह चम्पावत उपस्थित।

निर्णय दिनांक :—15.10.2024

प्रार्थना—पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी पैतृक कब्जा काश्तसुदा भूमि के खसरा नम्बर 404/1 रकबा 20 बीधा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। विवादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक एव पुश्तैनी कब्जा काश्तसुदा भूमि पूर्व मे वकत सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 404 रकबा 43 बीधा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी मे स्थित थी जिसमे प्रार्थीगण एव अन्य सह खातेदारान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। विवादग्रस्त कृषि भूमि बरवक्त सेटलमेन्ट के बतौर खाातेदारी मे प्रार्थीगण के पूर्वज पनिया कानिया भूरिया पिसरान चेला जात रा थापन के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी तथा उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के पूर्वज स्व कानाराम का देहान्त होने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 388 के जरिये कानाराम के वारिसान के रूप मे केवल झमकु का नाम ही दर्ज किया गया जबकि वास्तविक रूप से स्व0 कानाराम जी के दोनो पुत्र सुखेदव व गोपाराम का नाम भी झमकु के साथ वारिसान के रूप मे खातेदारी मे दर्ज किया जाना था स्व0 कानाराम के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रीयां नही थी। स्व0 कानाराम जी की धर्मपत्नी झमकु देवी थी तथा स्व0 कानाराम का देहान्त होने के पश्चात सामाजिक रिति रिवाजो के अनुसार श्रीमती झमकु देवी ने कानाराम जी के भाई भूराराम के साथ नाता विवाह कर लिया जिसके कारण प्रार्थीगण सुखदेव व गोपाराम की मां भी झमकु देवी ही है तथा झमकु देवी कानाराम के वारिसान के रूप मे बतौर खातेदार काश्तकार रेकर्ड मे दर्ज है जबकि वास्तविक रूप से झमकु देवी के साथ प्रार्थीगण भी स्व. कानाराम जी के वारिसान होने के कारण वादग्रस्त भूमि मे जन्म से हित अधिकार रखते है तथा स्व0 कानाराम जी के फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण भी संयुक्त रूप से झमकु देवी के साथ वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये लेकिन स्व0 कानाराम के फौत होने के पश्चात झमकु ने प्रार्थीगण का नाम बतौर उत्तराधिकारी के वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही करवाया तथा प्रार्थीगण के बाले बाले ही नामान्तरकरण संख्या 388 दर्ज करवा दिया जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के हितो के विरूद्व होने के कारण एक शून्य नामान्तरकरण की श्रेणी मे आता है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 को किसी प्रकार का विधिक अधिकार व्युत्पन नही होता है प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को बार बार राजस्व रेकार्ड मे संशोधन करवाने एव मौके पर हिस्से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अनुसार बंटवाडा तरमीम करवाने हेतु तथा बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन किये जाने के बावजूद भी बंटवाडा करने हेतु तैयार तत्पर व सहमत नही है जिसके कारण मौके पर बार बार लडाई–झगडा होता है तथा विवाद की स्थिति बनी रहती है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 01.10.2021 को हस्तान्तरण किये जाने बाबत एलानिया धमकिया दी तथा प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 404/1 रकबा 20 बीधा 18 बिस्वा भूमि मे मूल वाद तक के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव मे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया गया कि खसरा नम्बर 404/1 रकबा 20 बीधा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी मे स्थित है। जिसमे अप्रार्थी को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया गया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त कब्जा काश्त भूमि मे अप्रार्थी सख्यां 01 को मूल वाद तक पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक दखल अन्दाजी ना स्वंय करे तथा ना ही अन्य किसी से करावे एव राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया गया कि खसरा नम्बर 404/1 रकबा 20 बीधा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी मे स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अकेले अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का ही उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक चला रहा आ रहा है प्रार्थीगण ने उक्त पैरे मे संयुक्त खातेदारी पैतृक कब्जा सुदा भूमि बताई है जो सरासर गलत है तथा न ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का सयुक्त रूप से कब्जा व काश्त है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आज भी मौके पर चला आ रहा है प्रार्थीगण ने सारे तथ्य झूठे व मनगढन्त उल्लेखित किए है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नही है तथा न ही प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जे व काश्त मे दखलअन्दाजी करने का सवाल ही नही उठता है अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे आज भी खातेदार दर्ज है इस कारण कानूनन उक्त भूमि को बेचान व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने की अधिकारिणी है इय कारण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का सवाल ही नही उठता है इस कारण कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त वाद मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी के बीच खातेदारी की घोषणा एव मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है इस कारण प्रत्येक इंच इचं भूमि पर सभी सहखातेदारो का हक व हिस्सा बनता हैं। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थी ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2021 को प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो सही है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी के खेत खसरा नम्बर 404/1 रकबा 20 बीधा 18 बिस्वा भूमि तक के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी